रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072022-237690 CG-DL-E-29072022-237690

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3347] No. 3347] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 28, 2022/श्रावण 6, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 28, 2022/SHRAVANA 6, 1944

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2022

का.आ. 3512(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं को सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) लिक्ष्यित फायदाग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न जन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम अर्थात् "जन शिक्षण संस्थान को समर्थन" (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का संचालन कर रहा है;

और, इस स्कीम के अधीन, निरक्षर, नव-साक्षर और 15 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के 12वीं तक स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों को, स्कीम के विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) से संबन्धित व्यक्तियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए व्यावसायिक प्रशिक्षण (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदा कहा गया है) प्रदान किया जाता है;

और, स्कीम भारत की संचित निधि में से किया जाने वाला आवर्ती उपगत करती है।

5104 GI/2022 (1)

अत: अब, केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबन्धों के अनुसरण में, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थातु:-

- 1. (1) स्कीम के अधीन फायदों का लाभ लेने के लिए व्यष्टियों से यह अपेक्षित है कि वे आधार के कब्जे में होने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें।
 - (2) स्कीम के अधीन फायदों का लाभ लेने के पात्र किसी व्यष्टि को जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, उसे स्कीम के फायदों के लिए रजिस्ट्रीकरण कराने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबन्धों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार है और ऐसा व्यष्टि आधार के लिए नामांकन कराने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) का दौरा कर सकता है।
 - (3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, मंत्रालय को अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है जिनका आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया गया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुक या तहसील में आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है तो मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रार के साथ समन्वय करके या मंत्रालय स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण बनकर सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा:

परंतु, व्यष्टियों को आधार समनुदेशित किए जाने के समय तक स्कीम के अधीन ऐसे व्यष्टियों को निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन रहते हुए फायदे प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्: -

- (क) यदि उसने नामांकन कराया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; तथा
- (ख) निम्नलिखित दस्तावेज में से कोई एक, अर्थातु: -
 - (i) फोटो के साथ बैंक या डाकघर की पासबुक; या
 - (ii) मतदाता पहचान पत्र; या
 - (iii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या
 - (iv) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या
 - (v) पासपोर्ट; या
 - (vi) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की फोटो वाले पहचान प्रमाण पत्र; या
 - (vii) मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेज की जांच उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से मंत्रालय द्वारा पदानिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

- 2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध फायदे प्रदान करने के लिए, मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित सभी व्यवस्था करेगा कि मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा ताकि फायदाग्राहियों को स्कीम के अधीन फायदों को प्राप्त करने के आधार की अपेक्षाओं के बारे में जागरूक किया जा सके।
- 3. सभी मामलों में, जहां फायदाग्राहियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन विफल हो जाता है, तो निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र को अपनाया जाएगा, अर्थातु: -

- (क) खराब अंगुलिछाप गुणवत्ता के मामले में, आईरिस स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा को अधिप्रमाणन के लिए अपनाया जाएगा, जिससे मंत्रालय आईरिस स्कैनर या चेहरा अधिप्रमाणन के साथ-साथ अंगुलिछाप अधिप्रमाणन के निर्वाध रीति से फायदों के परिदान के लिए उपबंध कर सके;
- (ख) यदि अंगुलिछाप या आईरिस स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होता है, तो जहां भी साध्य और स्वीकार्य है, सीमित समय वैधता के साथ यथास्थिति आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम-आधारित वन-टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन को प्रस्थापित किया जाएगा;
- (ग) अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमेट्रिक या वन टाइम पासवर्ड या टाइम-आधारित वन-टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहाँ स्कीम के अधीन फायदा वास्तविक आधार पत्र के आधार पर दिया जा सकता है, जिसकी अधिप्रामाणिकता त्वरित प्रतिक्रिया के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है। आधार पत्र पर मुद्रित कोड और त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था मंत्रालय द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर उपलब्ध कराई जाएगी;
- 4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कीम के अधीन कोई भी वास्तविक फायदाग्राही फायदों से वंचित नहीं है, मंत्रालय, अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार द्वारा तारीख 19 दिसंबर, 2017 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या डी-26011/04/2017-डीबीटी में यथा विनिर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेगा, जो https://dbtbharat.gov.in/ पर उपलब्ध है।
- 5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. ईएनपी/4/2022-डीआईआर (ईएनपी)]

विजय कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2022

S.O. 3512(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (hereinafter referred to as the Ministry) is administering the Central Sector Scheme namely "Support to Jan Shikshan Sansthan" (hereinafter referred to as the Scheme) for imparting skill training to the target beneficiaries which is being implemented through various Jan Shikshan Sansthans (hereinafter referred to as the implementing agencies);

And whereas, under the Scheme, vocational trainings (*hereinafter referred to as the benefits*) are imparted to the non-literates, neo-literates and school drop-outs up to 12th standard in the age group of 15 to 45 years and with focus on the persons belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, minorities and women (*hereinafter referred to as the beneficiaries*) as per the extant guidelines of the Scheme;

And whereas, the Scheme involves recurring expenditures to be met out of the Consolidated Fund of India.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship hereby notifies the following, namely:—

- (1) An individual eligible for availing the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.
- (2) Any individual desirous of availing the benefits under the Scheme who is not yet enrolled for Aadhaar is hereby required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the benefits of the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India's website #www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its implementing agencies is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment center located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its implementing agencies shall provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or the Ministry itself becoming Unique Identification Authority of India Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:-

- (a) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment Identification slip; and
- (b) one of the following documents, namely:
 - i. Bank or Post Office passbook with photograph; or
 - ii. Voter Identity Card; or
 - iii. Permanent Account Number (PAN) Card; or
 - Driving licence issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);
 or
 - v. Passport; or
 - vi. Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or
 - vii. any other documents as maybe specified by the Ministry:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

- 2. In order to provide convenient and hassle free benefit to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its implementing agencies shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar for availing benefits under the Scheme.
- 3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-
 - (a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Ministry shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger print authentication for delivery of benefit in seamless manner;
 - (b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible, authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
 - (c) in all other cases, where biometric or One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Ministry through its implementing agencies;
- 4. In order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of the benefits, the Ministry through its implementing agencies shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum No. D-26011/04/2017-DBT dated the 19th December, 2017 issued by the Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India which is available on https://dbtbharat.gov.in/
- 5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette

[F. No. ENP/4/2022-DIR(ENP)]

VIJAY KUMAR SINHA, Jt. Secy.